



दैनिक जागरण



दैनिक भास्कर



जनसत्ता

Daily

CURRENT AFFAIRS

IAS/PCS

अब होगी करंट अफेयर्स की राह आसान

04 April 2025



भारत में ई.वी.एम. का संक्षिप्त इतिहास

भारत में ई.वी.एम. का संक्षिप्त इतिहास



संदर्भ

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से मतों की गिनती के साथ वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों के 100% सत्यापन की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट (एसएलयू) को 45 दिनों के लिए 'सील एवं सुरक्षित' करने का निर्देश दिया है।



भारत में ई.वी.एम. का संक्षिप्त इतिहास

क्या है सिंबल लोडिंग यूनिट (SLU)?

- मतदान केंद्र पर ईवीएम में तीन यूनिट्स होती हैं - कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी प्रिंटर। इस प्रक्रिया में एक चौथा उपकरण भी शामिल होता है, जिसे सिंबल लोडिंग यूनिट (एसएलयू) कहते हैं।



भारत में ई.वी.एम. का संक्षिप्त इतिहास



- एसएलयू लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर से जुड़ा एक उपकरण होता है। जहां से उम्मीदवारों के नाम, सीरियल नंबर और प्रतीकों वाली बिटमैप फाइल को लोड करने के लिए एक सिंबल लोडिंग एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है।
- फिर उस फाइल को पेपर ऑडिट मशीन पर ट्रांसफर करने के लिए एसएलयू को वीवीपीएटी से जोड़ा जाता है। यह जिला निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में किया जाता है।



भारत में ई.वी.एम. का संक्षिप्त इतिहास

प्रतीकों को लोड करने के बाद SLU

- बहु-चरणीय चुनावों में एक चरण का मतदान संपन्न होने पर अन्य चरणों के लिए VVPAT पर प्रतीकों को लोड करने के लिए SLU का पुनः उपयोग किया जाता है।



भारत में ई.वी.एम. का संक्षिप्त इतिहास



- SLU केवल EVM का निर्माण करने वाली कंपनियों- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) या इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) के इंजीनियरों को ही जारी किया जाता है, ताकि बाद के चरणों के लिए VVPAT पर सिंबल को लोड करने के लिए उनका उपयोग किया जा सके।



भारत में ई.वी.एम. का संक्षिप्त इतिहास

SLUs के विषय में सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्देश

- सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है कि किसी सीट के लिए सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद SLU को सील कर दिया जाना चाहिए और संग्रहीत किया जाना चाहिए।
- इसे परिणाम घोषित होने के बाद 45 दिनों की अवधि तक संग्रहीत किया जाना चाहिए, ताकि चुनाव याचिका के मामले में इसे EVM की तरह खोला जा सके और जांच की जा सके।



भारत में ई.वी.एम. का संक्षिप्त इतिहास

- इसका प्रभावी अर्थ यह है कि किसी सीट के लिए VVPAT पर प्रतीकों को लोड करने के लिए उपयोग किया जाने वाला SLU अब अन्य सीटों के लिए पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है।
- एक अभूतपूर्व कदम में, सर्वोच्च न्यायालय ने उम्मीदवारों को EVM सॉफ्टवेयर के सत्यापन की मांग करने की अनुमति दी है।



भारत में ई.वी.एम. का संक्षिप्त इतिहास

- इसका प्रभावी अर्थ यह है कि परिणाम के संबंध में किसी भी संदेह के मामले में उम्मीदवार ECI अधिकारियों के बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट एवं VVPAT में छेड़छाड़ के लिए केवल एक बार प्रोग्राम योग्य मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की जाँच के लिए कह सकता है।
- इस सत्यापन में इन तीन घटकों के प्रयुक्त मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर का निरीक्षण करना शामिल है।



भारत में ई.वी.एम. का संक्षिप्त इतिहास

- EVM निर्माताओं के इंजीनियर प्रति विधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र के विधान सभा क्षेत्र में 5% EVM की जाँच करेंगे। उम्मीदवारों को परिणाम की घोषणा के 7 दिनों के भीतर एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत करना होगा और प्रक्रिया का खर्च वहन करना होगा।



भारत में ई.वी.एम. का संक्षिप्त इतिहास

- हालाँकि, सत्यापन मांगने का यह अधिकार उन उम्मीदवारों तक ही सीमित है जो दूसरे या तीसरे स्थान पर आते हैं। विनिर्माण कंपनियों के इंजीनियर मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की प्रामाणिकता और अक्षुण्णता को प्रमाणित करेंगे।
- यदि सत्यापन के बाद माइक्रोकंट्रोलर के साथ छेड़छाड़ पाई जाती है तो अभ्यर्थी को सत्यापन का खर्च वापस कर दिया जाएगा।



भारत में ई.वी.एम. का संक्षिप्त इतिहास

ई.वी.एम. के बारे में

- सर्वप्रथम वर्ष 1982 में केरल के परूर विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का प्रयोग किया गया था। यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चुनावों के दौरान मतदाताओं के मत संग्रहण के लिए उपयुक्त प्रणाली की स्थापना करता है।



भारत में ई.वी.एम. का संक्षिप्त इतिहास



- इसका सुझाव सर्वप्रथम वर्ष 1977 में मुख्य चुनाव आयुक्त एस.एल. शकधर की ओर से आया था।
- परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL), हैदराबाद नामक एक सार्वजनिक उपक्रम ने वर्ष 1979 में इस मशीन का एक प्रोटोटाइप विकसित किया।
- भारत निर्मित ई.वी.एम. को भूटान, नेपाल एवं नामीबिया जैसे देशों द्वारा आयात भी किया गया है।



भारत में ई.वी.एम. का संक्षिप्त इतिहास

ई.वी.एम. के उपयोग की शुरुआत

- सभी दलों की व्यापक सहमति के बाद वर्ष 1980 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने EVM के उपयोग के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्देश जारी किए।




भारत में ई.वी.एम. का संक्षिप्त इतिहास

- दिसंबर 1988 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करके एक नई धारा (61A) शामिल की गई जो चुनाव आयोग को EVM का उपयोग करने का अधिकार देती है।
- यह संशोधन 15 मार्च, 1989 को लागू हुआ।



भारत में ई.वी.एम. का संक्षिप्त इतिहास



- भारत सरकार ने जनवरी 1990 में एक चुनाव सुधार समिति की स्थापना की जिसने जिसने मशीन की तकनीकी मूल्यांकन की सिफारिश की।
 - तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के एस. संपत की अध्यक्षता में किया गया था।
 - प्रारंभिक परीक्षणों से पता चला कि EVM से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती थी।



भारत में ई.वी.एम. का संक्षिप्त इतिहास

- वर्ष 2013 में उन्नत संस्करण के माध्यम से नोटा का विकल्प EVM में शामिल किया गया।
- वर्ष 2019 के आम चुनाव में पहली बार EVM को 100% VVPAT मशीन के साथ प्रयोग किया गया।



भारत में ई.वी.एम. का संक्षिप्त इतिहास

ई.वी.एम. अपनाने के कारण

- भारतीय मतदाताओं की अत्यधिक संख्या
- चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाने में सहायक
- बूथ कैचरिंग की समस्या से निपटना
- ई.वी.एम को अपनाने को लेकर आम सहमति
- मतगणना में तेज़ी



भारत में ई.वी.एम. का संक्षिप्त इतिहास

अन्य देशों की स्थिति

- जिस समय EVM ने भारत में लोकप्रियता हासिल की उसी दौरान विश्व के विभिन्न देश, जैसे- इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड एवं अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया।
- मार्च 2009 में जर्मन सर्वोच्च न्यायालय ने EVM के माध्यम से मतदान को असंवैधानिक बताया।





UPSC Mains GS Paper 1

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1982 में केरल के एक विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का प्रयोग किया गया था।
 2. भारतीय निर्वाचन आयोग ने ईवीएम के उपयोग के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्देश सभी दलों की व्यापक सहमति के बाद वर्ष 1980 में जारी किए थे।
 3. वर्ष 2019 के आम चुनाव में पहली बार ईवीएम को 100% वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) मशीन के साथ प्रयोग किया गया।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3





वोट फ्रॉम होम सुविधा

वोट फ्रॉम होम सुविधा

संदर्भ

समावेशी निर्वाचन को बढ़ावा देने के क्रम में भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India : ECI) ने 'वोट फ्रॉम होम' सुविधा की शुरुआत की है।



वोट फ्रॉम होम सुविधा

नवीनतम पहल

- ई.सी.आई. ने लोक सभा चुनाव के इतिहास में पहली बार विकलांग व्यक्तियों एवं 85 वर्ष व उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'वोट फ्रॉम होम' सुविधा का विस्तार किया है।
 - इससे 85 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों और 88.4 लाख विकलांग व्यक्तियों को डाक मतपत्रों के माध्यम से वोट डालने की अनुमति मिलेगी।



वोट फ्रॉम होम सुविधा

किसको मिलेगा वोट फ्रॉम होम सुविधा का लाभ

- 85 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक
- 40% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति
- चुनावी गतिविधियों का प्रसारण करने वाले मीडियाकर्मी
- आवश्यक सेवाओं के कर्मचारी



वोट फ्रॉम होम सुविधा

- सेवा मतदाता
 - अपने गृह नगर से दूर तैनात सशस्त्र बलों के कर्मी
 - घर से दूर तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मी
 - चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मी



वोट फ्रॉम होम सुविधा

Who is eligible to avail the vote-for-home facility?



People aged 85 and above



Persons with Disabilities

The disability shall not be less than 40% of the prescribed handicap and certified by the certifying authority



Mediapersons covering 'polling day activities'

Carrying authorisation letters from the Election Commission



Workers from essential services

Services such as metros, railways and health care



Service voters

Personnel of the armed forces posted away from their hometowns, Central Armed Police Forces personnel deployed away from home and those on poll duty





UPSC Mains GS Paper 2

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. 'वोट फ्रॉम होम' सुविधा का लाभ केवल 85 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों तथा 40% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को ही मिलेगा।
2. इस सुविधा के तहत पात्र मतदाता डाक मतपत्रों के माध्यम से अपना वोट डाल सकेंगे।
3. भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोक सभा चुनाव के इतिहास में पहली बार इस सुविधा का विस्तार किया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3





बाल्यावस्था में कैंसर के मामलों में वृद्धि

बाल्यावस्था में कैंसर के मामलों में वृद्धि

संदर्भ

हाल के वर्षों में बच्चों में कैंसर की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है। लोगों एवं प्राथमिक देखभाल चिकित्सकों में बाल्यावस्था कैंसर के बारे में जागरूकता में वृद्धि से ऐसे मामलों की जानकारी सामने आ रही है।



बाल्यावस्था में कैंसर के मामलों में वृद्धि

बाल्यावस्था कैंसर में वृद्धि के प्रमुख कारण
नैदानिक चिकित्सा में प्रगति

बेहतर स्क्रीनिंग विधियों एवं नैदानिक उपकरणों से ट्यूमर की शीघ्र पहचान संभव हो सकी है। पूर्व में अज्ञात मामलों का अब निदान किया जा रहा है, जिससे बचपन में कैंसर के मामले अब सामने आ रहे हैं जो इसकी वृद्धि का कारक है।



बाल्यावस्था में कैंसर के मामलों में वृद्धि

जीवनशैली का प्रभाव

आहार शैली में बदलाव, शारीरिक गतिविधियों एवं आउटडोर गेम में कमी, क्रियाशील आदतों में कमी और लंबे समय तक स्क्रीन पर समय बिताने जैसी बदलती जीवनशैली बच्चों के समग्र स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। अस्वास्थ्यकर जीवनशैली कैंसर के विकास का एक कारक है।



बाल्यावस्था में कैंसर के मामलों में वृद्धि

पर्यावरणीय कारक

वर्तमान में बच्चे तेज़ी से अपने परिवेश में मौजूद कैंसरकारी तत्वों के संपर्क में आ रहे हैं। इनमें मुख्यतः प्रदूषित तत्व, औद्योगिक एवं कृषि प्रक्रियाओं से निकलने वाले रसायन शामिल हैं। इस तरह के जोखिम कैंसर के विकास के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं।



बाल्यावस्था में कैंसर के मामलों में वृद्धि



वायरल संक्रमण एवं कमजोर प्रतिरक्षा

कुछ वायरल संक्रमण आनुवंशिक उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं जिससे कैंसर विकास का खतरा बढ़ जाता है। उपलब्ध टीकाकरण एवं एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली इन संक्रमणों पर नियंत्रण पा सकती है।



बाल्यावस्था में कैंसर के मामलों में वृद्धि

सामाजिक एवं आर्थिक कारक

- सामाजिक-आर्थिक असमानताएं बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, त्वरित निदान एवं उपचार विकल्पों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं।
- वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे प्रायः उन बाधाओं का सामना करते हैं जो समय पर निदान एवं उचित चिकित्सा देखभाल में बाधा डालती हैं जिससे बाल्यावस्था कैंसर से जुड़ी चुनौतियां बढ़ जाती हैं।



बाल्यावस्था में कैंसर के मामलों में वृद्धि

बाल्यावस्था कैंसर रोकथाम के उपाय

बाल कैंसर प्रबंधन में प्रगति

बाल चिकित्सा के क्षेत्र में ऑन्कोलॉजी की प्रगति से बाल्यावस्था के कैंसर से जीवित रहने की दर में सुधार हुआ है। कैंसर से पीड़ित लगभग 80% बच्चे शीघ्र निदान एवं उचित उपचार से ठीक हो सकते हैं।



बाल्यावस्था में कैंसर के मामलों में वृद्धि



उन्नत जन-जागरूकता अभियान

जन-जागरूकता के माध्यम से माता-पिता एवं देखभाल करने वालों को कैंसर के शीघ्र पता लगाने के महत्व के बारे में शिक्षित करने और फल व सब्जीयुक्त संतुलित आहार लेने, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से परहेज करने, आउटडोर गेम्स, शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने जैसे स्वस्थ जीवनशैली विकल्पों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है।



बाल्यावस्था में कैंसर के मामलों में वृद्धि

कैंसरकारी तत्वों से बचाव

कैंसरकारी कारकों से बचाव के उद्देश्य से मजबूत पर्यावरणीय नियम एवं नीतियाँ पर्यावरणीय कारकों के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक हैं।



बाल्यावस्था में कैंसर के मामलों में वृद्धि

अनुसंधान एवं विकास पर बल

बाल्यावस्था कैंसर में योगदान देने वाले आनुवंशिक, पर्यावरणीय व जीवनशैली आधारित कारकों की जटिल परस्पर क्रिया को जानने के लिए अनुसंधान में निवेश आवश्यक है।



बाल्यावस्था में कैंसर के मामलों में वृद्धि

उच्च जोखिम वाली आबादी की पहचान करना

उच्च जोखिम वाली आबादी की पहचान करने और लक्षित हस्तक्षेपों को लागू करने से कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए सकारात्मक परिणाम बढ़ सकते हैं। इससे बीमारी के समग्र बोझ को कम करने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।



UPSC Mains GS Paper 2

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. समकालीन भारतीय प्रशासनिक प्रणाली की कई विशेषताएँ ब्रिटिश प्रशासनिक प्रणालियों से विरासत में मिली हैं।
2. स्वतंत्रता के प्रारंभिक दशकों में भारत ने मुख्य रूप से पूर्ण आत्मनिर्भरता और आयात प्रतिस्थापन पर आधारित कल्याणकारी आर्थिक नीतियाँ अपनाईं।
3. 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों के बाद, अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने भारतीय प्रशासन के तरीकों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3





भ्रामक विज्ञापनों पर मजबूत
निगरानी की आवश्यकता

भ्रामक विज्ञापनों पर मजबूत निगरानी की आवश्यकता

संदर्भ

आयुर्वेद उत्पाद बनाने वाली कंपनी पतंजलि को भ्रामक विज्ञापनों के लिए सर्वोच्च न्यायालय की फटकार का सामना करना पड़ा है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्य मंत्रालय ने भी 10 अप्रैल, 2024 के एक आदेश में कहा है कि ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने पोर्टल पर सभी पेय पदार्थों को 'स्वास्थ्यवर्धक पेय' श्रेणी में नहीं रखना चाहिए। यह आदेश राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की एक वर्ष तक चली जांच के बाद आया है। NCPCR ने माल्टेड व 78 वर्ष पुराने बोर्नविटा ब्रांड को लेकर यह जांच की थी।



भ्रामक विज्ञापनों पर मजबूत निगरानी की आवश्यकता

खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने भी 2 अप्रैल, 2024 को ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों से अनुरोध किया था कि वे डेयरी, अनाज या माल्ट आधारित पेय पदार्थों को 'स्वास्थ्यवर्धक पेय' या 'ऊर्जावर्धक पेय' के रूप में वर्गीकृत न करें। ऐसा वर्गीकरण ग्राहकों को भ्रमित करता है।



भ्रामक विज्ञापनों पर मजबूत निगरानी की आवश्यकता

भ्रामक विज्ञापन से तात्पर्य

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार, भ्रामक विज्ञापन को ऐसे विज्ञापन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी उत्पाद या सेवा का गलत वर्णन करता है, झूठी गारंटी देता है, उसकी प्रकृति या गुणवत्ता के बारे में उपभोक्ताओं को गुमराह करने की संभावना रखता है, अनुचित व्यापार प्रथा का प्रतिनिधित्व करता है या जानबूझकर महत्वपूर्ण जानकारी छुपाता है।



भ्रामक विज्ञापनों पर मजबूत निगरानी की आवश्यकता

- विज्ञापन वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रचार का माध्यम माना जाता है किंतु, जब विज्ञापनकर्ता जानबूझकर मिथ्या प्रचार करते हैं और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, तब यह आपत्तिजनक हो जाता है।



भ्रामक विज्ञापनों पर मजबूत निगरानी की आवश्यकता

- यदि कोई उत्पादक अथवा विज्ञापनकर्ता किसी उत्पाद के बारे में कोई दावा करता है, तो उसके उसे सिद्ध भी करना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो इसे भ्रामक विज्ञापन माना जाएगा तथा देश के विभिन्न कानूनों के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।



भ्रामक विज्ञापनों पर मजबूत निगरानी की आवश्यकता

भ्रामक विज्ञापनों के दुष्प्रभाव

- उपभोक्ताओं के सूचना, सुरक्षा एवं चयन के मौलिक अधिकारों का हनन
 - भ्रामक विज्ञापनों के प्रभाव में कई बार स्वास्थ्य व जीवन के लिए घातक वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रयोग
 - शारीरिक, मानसिक व आर्थिक क्षति की संभावना
 - विज्ञापनों के दृश्यों का बच्चों के मन व मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव
- विज्ञापनों में दिखाए जाने वाले हिंसक व उत्तेजक दृश्यों की नकल कई बार बच्चों द्वारा किए जाने लगती है।



भ्रामक विज्ञापनों पर मजबूत निगरानी की आवश्यकता

भ्रामक विज्ञापनों पर निगरानी की आवश्यकता

- कई ब्रांड्स अपने उत्पादों के पैकेट पर 'स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद' लिख देते हैं, जबकि NCPCR ने पाया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत 'स्वास्थ्यवर्धक पेय' की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है।



भ्रामक विज्ञापनों पर मजबूत निगरानी की आवश्यकता

- भारत में बच्चों को लक्षित करने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों के विज्ञापनों को लेकर ज्यादा चिंता है। देशी एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियां रणनीति के तहत तथ्यों से छेड़छाड़ करती हैं और अपने उत्पादों को स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद के लेबलिंग के साथ बाजार में बेचती हैं।
 - उदाहरण के लिए बोरनविटा ने 'माल्टोडेक्सट्रिन' एवं 'लिक्विड ग्लूकोज' जैसे लेबल का इस्तेमाल करके चीनी की सीमा को कम करके दिखाया था।



भ्रामक विज्ञापनों पर मजबूत निगरानी की आवश्यकता

- FSSAI के लेबलिंग एवं डिस्प्ले नियम, 2020 के अनुसार, इन्हें भी चीनी के लेबल के अंतर्गत ही दिखाया जाना चाहिए।
- इसी प्रकार पतंजलि ने 'एलोपैथी द्वारा फैलाई गई गलतफहमियां' नामक शीर्षक से समाचार-पत्र में अपना विज्ञापन दिया था, जिसके कारण कंपनी को सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगनी पड़ी है।



भ्रामक विज्ञापनों पर मजबूत निगरानी की आवश्यकता

- साथ ही, वैकल्पिक दवाओं एवं पैकेट बंद भोजन का बाजार (खासकर बच्चों पर केंद्रित) तेजी से बढ़ रहा है इसलिए उपभोक्ता कल्याण के लिए अधिक मजबूत निगरानी संस्था की जरूरत है।



भ्रामक विज्ञापनों पर मजबूत निगरानी की आवश्यकता

सरकार द्वारा बनाए गए प्रमुख कानून

- खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986
- खाद्य अपमिश्रण उन्मूलन अधिनियम, 1955
- केबल टेलीविजन नेटवर्क नियंत्रण अधिनियम, 1995
- वस्तु बिक्री अधिनियम, 1930



UPSC Mains GS Paper 2

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार, भ्रामक विज्ञापन वह है जो किसी उत्पाद या सेवा का गलत वर्णन करता है या झूठी गारंटी देता है।
2. खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अनुसार, 'स्वास्थ्यवर्धक पेय' की एक आधिकारिक परिभाषा मौजूद है जिसका उपयोग खाद्य उत्पादों के विपणन में किया जा सकता है।
3. भ्रामक विज्ञापनों का उपभोक्ताओं के सूचना, सुरक्षा एवं चयन के मौलिक अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3





Thank you!

A

